संचिका संख्या.–12/प0क0(बजट) 10–05/11 - 3(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्रपटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक - 28-05-2015

विषय– गैर योजना मद के मुख्यशीर्ष 2211–परिवार कल्याण राज्य के 394 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उनमें सृजित 1848 पदों का वित्तीय वर्ष 2015–16 तक कुल– 693265000/– (उन्हत्तर करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–03(12) दिनांक–16.05.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए किये गये अवधि विस्तार के कम में गैर योजना अन्तर्गत 394 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उनमें सृजित 1848 पदों वर्ष 2015–2016 में कुल– 693265000/– (उन्हत्तर करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (व्यय विवरणी संलग्न) ।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2211–परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं, मांग संख्या 20 उप शीर्ष 0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र विपत्र कोड संख्या–N2211001010001 के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 में उपबंधित राशि से किया जायेगा । इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार पटना होगें ।
3. राशि के व्यय संबंधित बजट शीर्ष के प्रावधान की अधिसीमा के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 एवं 2419वि0(2)दिनांक–5.04.07 के आलोक में किया जायेगा ।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को ही वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित करंगें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में अंकित करेंगें ।
5 कय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक–16.08.02 के आलोक में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।
6. मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या मं0मं0–01/आर0–02–2007 –602 दिनांक–20.03.07 कंडिका–ग (2) के आलोक में अवधि विस्तार किया जा रहा है ।
7. अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. यह मात्र अवधि विस्तार है आवंटन अलग से दिया जायेगा ।
9. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से की जायेगी ।

विश्वासभाजन

27/5/15

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

Join sec/12

ज्ञापांक– 3(12) /पटना दिनांक 28-05-2015

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा)को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदा0/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदा0, प्रा0स्वा0केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/अपर निदेशक (प0क0) अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, पटना/प्रशाखा पदा0–1, 7,10, एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

2211–परिवार कल्याण–गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्षवार वित्तीय वर्ष– 2015–16 का व्यय का ब्यौरा का सारांश

कं0 सं0	लघु शीर्ष	उपशीर्ष	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दी/पोशाक	विद्युत प्रभार	अन्य प्रभार	किराया एवं महसूल कर	योग
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22
1	10 1	0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	298134000	351798000	29813000	7670000	2950000	0	690365000	500000	600000	600000	200000	800000	0	200000	693265000
कुल योग			298134000	351798000	29813000	7670000	2950000	0	690365000	500000	600000	600000	200000	800000	0	200000	693265000

कुल योग–693265000 (उन्हत्तर करोड़ बत्तीस लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र

3(12)
28-05-2015

सरकार के संयुक्त सचिव